(230)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2522-एक/2016 - विरूद्ध- आदेश दिनॉक 21-06-2016 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 284 अ-21/2015-16 अपील

मदन पुत्र बाला गौड़ आदिवासी
निवासी पहर गवॉ तहसील मालथौन
जिला सागर मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन --रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री डी0एस0जाटव)
(रिस्पा. की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनॉक 1-2--2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 284 अ-21//2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-06-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर सागर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मॉग की कि उसके व्दारा विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई मौजा कलमेटा स्थिति भूमि स. क. 113/2 रकबा 0.40 हैक्टर को वह विक्रय करना चाहता है क्योंकि वह मौजा कलमेटा स्थिति भूमि से लगभग 12 किलो मीटर दूर के गॉव डबरावीर में रहता है जिसके कारण खेती करनै में असुविधा है, इसलिये विक्रय की अनुमति प्रदान की

जावे। कलेक्टर सागर ने अपीलांट के आवेदन पर विचार करते हुये आदेश दिनांक 10-11-2015 पारित किया तथा विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 10-11-15 के विरूद्ध अपीलांट ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 284 अ-21//2015-16 अपील में पारित आदेश दि. 21-06-2016 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि मौजा कलमेटा स्थिति भूमि सर्वे कमांक 113/2 रकबा 0.40 हैक्टर का अपीलांट रिकार्डेड भूमिस्वामी है किन्तु वह अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है जिसके कारण उसने कलेक्टर सागर से विक्रय अनुमति मॉगी है जिसे कलेक्टर व्दारा आदेश दिनॉक 10-11-15 से अस्वीकृत किया है। विचार योग्य है कि क्या अनुसूचित जनजाति संवर्ग का ऐसा भूमिस्वामी , जिसके नाम शासन से पटटे पर प्राप्त भूमि न होकर विक्रय पत्र के आधार पर स्वअर्जित भूमि हो, आवश्यकता के अनुरूप भूमि विक्रय कर सकता है। विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट ने भूमि विक्रय का कारण यह बताया है कि वह मौजा कलमेटा स्थिति भूमि से लगभग 12 किलो मीटर दूर के गॉव डबरावीर में रहता है जिसके कारण खेती करने में असुविधा है, इसलिये वह भूमि विक्रय करना चाहता है। तात्पर्य यह है कि वाद विचारित भूमि अपीलांट के लिये लाभकारी कृषि भूमि नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि से 12 किलो मीटर दूर के गॉव डबरावीर में रहने से खेती करना एंव खेत में खड़ी फसल की रखवाली करना संभव नहीं है। इस पर भी गौर करना लाजमी है कि अपीलांट यदि वादविचारित भूमि विक्रय कर देता है तब उसके पास आजीविका चलाने का साधन क्या होगा ? प्रकरण में आये तथ्यों से

परिलक्षित है कि अपीलांट के पास वाद विचारित भूमि के अतिरिक्त मौजा खीर में भूमि सर्वे कमांक 221 रकबा 0.90 हैक्टर हिस्सा 1/3 तथा मौजा कांसखेड़ा तहसील देवरी में भूमि सर्वे कमांक 292 रकबा 0.51 हैक्टर कृषि भूमि है जिसके कारण अपीलांट भूमिहीन नहीं होगा एंव यह भूमि उसके आजीविका का साधन है। स्पष्ट है कि अपीलांट की सुविधा की दृष्टि से उसके स्वत्व एंव स्वामित्व की विक्रय पत्र के आधार पर स्वअर्जित कृषि भूमि स्थित मौजा कलमेटा सर्वे कमांक 113/2 रकबा 0.40 हैक्टर के विक्रय की अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है किन्तु इन तथ्यों पर कलेक्टर सागर ने आदेश दिनांक 10-11-15 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा आदेश दिनांक 21-06-2016 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 284 अ-21//2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-06-2016 एंव कलेक्टर सागर व्दारा पारित आदेश दिनांक 10-11-15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव अपीलांट को उसके स्वामित्व की मौजा कलमेटा स्थित भूमि सर्वे कमांक 113/2 रकबा 0.40 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है -

1. भूमि का कय-विक्रय इस आदेश के पारित होने के दिनांक से तीन माह के भीतर संपन्न करा लिया जावेगा। तीन माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत यह आदेश निष्प्रभावी होगा।
2. उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित करते समय ध्यान रखेंगे कि भूमि का विक्रय वर्तमान में प्रचलित शासन की गाईड लायन के मान से एंव शासन व्दारा कय-विक्रय हेतु वर्तमान में निर्धारित नियमों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग. 2522–एक/16 जिला – सागर

क्रमांक एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. जाटव द्वारा द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 1–2–17 में पक्षकारों के शीर्ष में आवेदक का पता किसी अन्य प्रकरण का टाइप हो गया है जबकि आवेदक द्वाराप्रस्तुत निगरानी में आवेदक का पता निवासी ग्राम डमरा वीर तहसील देवरी जिला सागर उल्लिखित है, जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है । अतः न्यायहित में यह आदेश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण में दिनांक 1–2–17 को पारित आदेश में पक्षकारों के शीर्ष में आवेदक का पता – निवासी पहर गवां तहसील मालथौन जिला सागर मध्यप्रदेश के स्थान पर निवासी – ग्राम डमरा वीर तहसील देवरी जिला सागर पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । सदस्य	